

कार्यालय कलेक्टर, जिला आगर मालवा एवं पदेन उच्चविव,  
म.प्र. शासन राजस्व विभाग


क्रमांक. ५५२/ भू-अर्जन / २०१३ / आगर दिनांक ३१-३-१५

**सार्वजनिक सूचना**

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य शासन के जल संसाधन विभाग की कीटखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता होने से राज्य शासन आपसी सहमति से भूमि कय निति के अंतर्गत निम्न भूमि / भूखण्ड भू-स्वामियों की सहमति के आधार पर क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह इस पत्र को जारी होने के १५ दिवस के भीतर आधार सहित कलेक्टर आगर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

ग्राम का नाम:- कीटखेडी तहसील सुसनेर  
जिला :- आगर मालवा पटवारी हल्का नं.

स.क्र.	खसरा क्र.	कुल रकबा हेक्टेयर में	क्रय किया जाने वाला रकबा हेक्टेयर में	भू धारक का नाम जाति एवं पता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	267	0.87	0.42	श्री करणसिंह अनारसिंह गंगाराम पिता अमरसिंह श्रीमती राजाबाई विधवा भगवानसिंह	
2	692	0.32	0.12	श्री गंगाराम पुत्र अमरसिंह जाति सौध्या	
3	433	1.12	0.04	श्री मांगीलाल गोकुलप्रसाद मोहनलाल तेजाबाई पिता अमरा श्रीमती गंगाबाई विधवा अमरा जाति चमार	
4	251	1.88	1.05	श्रीमती भंवरबाई पति करणसिंह जाति सौध्या	
5	442	0.03	0.01	श्री मांगीलाल गोकुलप्रसाद मोहनलाल तेजाबाई पिता अमरा श्रीमती गंगाबाई विधवा अमरा जाति चमार	
योग			1.64	हेक्टर	

  
(विनोद कुमार शर्मा)  
कलेक्टर


मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग  
जिला आगर मालवा

क्रमांक. / भू-अर्जन / 2014 / ५५२

आगर दिनांक ३१-३-१५

उदघोषणा की प्रति :-

- 1 आयुक्त सूचना एवं प्रकाशन, मध्यप्रदेश जन सम्पर्क भवन बाणगंगा भोपाल की ओर 5 प्रतिष्ठों में जिसमें से दो समाचार पत्रों में प्रकाशन होना है, एक समाचार पत्र स्थानीय होना आवश्यक है।
- 2 कलेक्टर, आगर मालवा के सूचना पटल पर चरसा हेतु।
- 3 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर के सूचना पटल पर चरसा हेतु। दो प्रति में एक चरसा करवाकर फाईल करें।
- 4 तहसीलदार सुसनेर के नोटिस बोर्ड पर चरसा हेतु दो प्रति में एक प्रति चरसा करवा देने का प्रतिवेदन अंकित कर इस कार्यालय को भेजें।
- 5 तहसीलदार नुसनेर की ओर दो प्रति में एक प्रति ग्राम गोरावा की चौपाल पर चरसा करवा हेतु एक प्रति पंचनामा सहित फाईल करने हेतु वापिस भेजें।
- 6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सुसनेर के नोटिस बोर्ड पर चरसा हेतु दो प्रति में एक प्रति चरसा करवा देने का प्रतिवेदन अंकित कर इस कार्यालय को भेजें।
- 7 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर के नोटिस बोर्ड पर चरसा हेतु दो प्रति में एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चरसा करवा देने का प्रतिवेदन अंकित कर इस कार्यालय को भेजें।
- 8 अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग सुसनेर के सूचना पटल पर चरसा हेतु दो प्रति में एक प्रति चरसा करवा देने का प्रतिवेदन अंकित कर इस कार्यालय को भेजें।
- 9 ग्राम पंचायत गोरावा के नोटिस बोर्ड पर चरसा हेतु दो प्रति में एक प्रति चरसा करवा देने का प्रतिवेदन अंकित कर इस कार्यालय को भेजें।



विनोद कुमार शर्मा

कलेक्टर आगर मालवा एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग